भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2353

(शुक्रवार, 9 मार्च, 2018/18 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

ऑनलाइन सर्च इंजन पर सीसीआई की कार्रवाई

2353. श्री सी. गोपालकृष्णनः

श्री पी. नागराजनः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने हाल ही में एक इंटरनेट सर्च ईंजन पर ऑनलाइन अनुसंधान हेतु स्थानीय बाजार में अनुचित व्यवसाय प्रथाओं हेतु 136 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त कंपनी ने केन्द्र सरकार को जुर्माना राशि को अदा कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या गत 3 वर्षों के दौरान भारत में ऐसी अनुचित व्यवसाय प्रथाओं हेतु सीसीआई द्वारा अन्य कंपनियों/निगमों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी जुर्माना लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दिनांक 31.01.2018 के आदेश द्वारा पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत दो मामलों अर्थात् मैट्रीमोनी.कॉम लि. बनाम गूगल एलएलपी एंड अदर्स (संख्या-07/2012) और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी (सीयूटीएस) बनाम गूगल एलएलसी एंड अदर्स (संख्या-30/2012) में बाजार में सामान्य ऑनलाइन सर्च और विज्ञापन बाजार में ऑनलाइन सर्च के संबंध में गूगल की प्रभुत्वपूर्ण स्थिति स्वीकार की है। आयोग ने गूगल पर प्रभुत्वपूर्ण स्थिति के दुरुपयोग के लिए प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 135.86 करोड़ रुपये की शास्ति लगाई है।

(ख) और (ग): आयोग द्वारा गूगल को आदेश की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर शास्ति की राशि जमा करने के निदेश दिए गए हैं। 08.02.2018 को गूगल को यह आदेश तामील किया गया था।

(घ): सीसीआई द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में ऐसे अनुचित व्यापार व्यवहारों के लिए किसी अन्य कंपनी/कारपोरेट/बहुराष्ट्रीय कंपनी पर प्रभार/जुर्माना नहीं लगाया गया है।

*****